

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001**

सं.: 5-1(14)/2008-पीडी

दिनांक : 11.07.2025

कार्यालय ज्ञापन

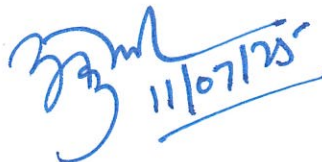
विषय: सीएसआईआर में एमटीएस और कैटीन के पदों का सृजन, पुनःप्रवर्तन और समाप्ति के - संबंध में।

केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों में पदों के सृजन, पुनःप्रवर्तन, निरंतरता, परिवर्तन, स्थानांतरण, उन्नयन, अवनयन और समाप्ति के लिए भारत सरकार के अनुदेशों का संदर्भ लें, जो व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(1)/E.Coord-I/2017(Part.III) दिनांक 04.01.2024 के माध्यम से जारी किए गए थे। इसके माध्यम से यह सूचित किया गया था कि कोई भी पद जो 5 वर्षों से अधिक समय से रिक्त है, उसे समाप्त माना जाएगा और परिणामस्वरूप सीएसआईआर ने दिनांक 02.05.2025 के ईमेल के माध्यम से सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों से 01.04.2025 तक मल्टी-टास्किंग स्टाफ/कैटीन स्टाफ में रिक्तियों का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया था ताकि उन पदों की संख्या का पता लगाया जा सके जो 5 वर्षों से अधिक समय से रिक्त हैं और पहले ही समाप्त हो चुके हैं।

2. संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई एमटीएस और कैटीन स्टाफ पदों के पुनःप्रवर्तन/सृजन के प्रस्तावों के साथ-साथ रिक्तियों के विवरण से संबंधित सूचना का वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवलोकन और विचार किया गया है तथा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है:

क. मल्टी टास्किंग स्टाफ के संबंध में (कैटीन के अलावा):

- i. 01.04.2025 तक 5 वर्षों से अधिक समय से रिक्त मल्टी टास्किंग स्टाफ के सभी पद (अर्थात 1002 पद) व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.1 के अनुसार **समाप्त कर** दिए गए हैं।
- ii. दिनांक 01.04.2025 तक प्रयोगशाला/ संस्थान के एमटीएस की स्वीकृत संख्या में केवल एमटीएस के वह पद शामिल होंगे जो सक्रिय हैं (अर्थात भरे हुए और 5 वर्ष से कम समय से रिक्त हैं), जैसा कि **अनुलग्नक-1** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।
- iii. महानिदेशक, सीएसआईआर ने सीएसआईआर के पत्र संख्या 5-1(151)/2012-पीडी दिनांक 02.07.2013 के अनुसार, एक बार के उपाय के रूप में, 5 वर्ष से कम समय से रिक्त सभी एमटीएस पदों को भरने के लिए भी **अनुमोदन प्रदान** किया है, ताकि ये पद समाप्त मानी गई श्रेणी में न आएं।
- iv. हालाँकि, एमटीएस पद जो समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 01.04.2025 के बाद समाप्त श्रेणी में आते हैं, उन्हें **नहीं** भरा जाएगा और इसकी सूचना सीएसआईआर को दी जा सकती है।
- v. इसके अलावा, एमटीएस के सभी पदों की एक रिपोर्ट, जो समाप्त श्रेणी में आ गए हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सीएसआईआर मुख्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।
- vi. इसके अतिरिक्त, एमटीएस पदों के सृजन/पुनःप्रवर्तन के प्रस्तावों को स्वीकार **नहीं किया जा सका**, इसलिए सीएसआईआर प्रयोगशालाओं / संस्थानों से प्राप्त ऐसे सभी प्रस्ताव समाप्त समझे जाएं।


11/07/25

ख. कैटीन स्टाफ के संबंध में:

- i. 01.04.2025 तक 5 वर्षों से अधिक समय से रिक्त कैटीन स्टाफ के सभी पद (अर्थात 317 पद) व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.1 के अनुसार **समाप्त कर** दिए गए हैं।
 - ii. इसके अलावा, कैटीन स्टाफ के पदों के संबंध में सीएसआईआर के पत्र संख्या 17(202)/1/92-ई-II दिनांक 04.07.1994 (**संलग्न**) द्वारा अधिसूचित शासी निकाय, सीएसआईआर के निर्णय को दोहराया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "विभागीय कैटीनों में कोई नया पद सृजित नहीं किया जाना चाहिए और कोई रिक्ति नहीं भरी जानी चाहिए; नई कैटीन सुविधाओं के सृजन की स्थिति में काम को ठेके पर दिया जाना चाहिए; त्यागपत्र, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी और निष्कासन आदि के कारण उत्पन्न रिक्तियों को नहीं भरा जाना चाहिए। जहां भी यह पूर्णतः आवश्यक हो, रिक्तियों को अन्य सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में मौजूदा कैटीन स्टाफ की पुनर्नियुक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करते हुए कि मौजूदा कैटीन स्टाफ को अनावश्यक नहीं बनाया जाए, काम को ठेके पर दिया जाना चाहिए।"
 - iii. तदनुसार, प्रयोगशालाओं/ संस्थानों द्वारा कैटीन स्टाफ के सृजन/ पुनःप्रवर्तन के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार **नहीं किया** जा सका, इसलिए, इस संबंध में सभी प्रस्ताव समाप्त समझे जाएं।
 - iv. इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि 01.04.2025 तक कैटीन में कार्यरत व्यक्ति, प्रयोगशाला/ संस्थान के कैटीन कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या का गठन करेगा, जैसा कि **अनुलग्नक -II** में विस्तृत रूप से बताया गया है। कैटीन कर्मचारियों के पद वर्तमान पदाधिकारियों के व्यक्तिगत हैं, इसलिए, वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा पद रिक्त होने पर ये पद समाप्त हो जाएंगे और इसलिए सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, निष्कासन आदि के कारण ये पद **नहीं भरे जाएंगे** और इन पदों के रिक्त होने पर मुख्यालय को **एक रिपोर्ट** प्रस्तुत की जाए।
3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सलाह दी जाती है कि संविदात्मक जनशक्ति की आवश्यकता की समीक्षा की जाए तथा संविदात्मक जनशक्ति की संख्या में उचित कमी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,


(अमरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव (पीडी)

संलग्न : उपरोक्तनुसार

सेवा में:

1. सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/ संस्थानों / मुख्यालयों /इकाइयों के निदेशक/प्रमुख।
2. **वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर** - दिनांक 04.01.2024 के पूर्वोक्त डीओई कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.6 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।

प्रतिलिपि :

1. कार्यालय, महानिदेशक, सीएसआईआर .

2. कार्यालय, संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर
3. संस्थानों / मुख्यालयों / इकाइयों के वरिष्ठ उपसचिव /वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ उपसचिव / प्रशासन नियंत्रक / अवर सचिव / प्रशासनिक अधिकारी
4. संस्थानों / मुख्यालय / इकाइयों के वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ वित्त नियंत्रक/उप वित्तीय सलाहकार/ वित्त नियंत्रक/ वित्त एवं लेखा अधिकारी
5. वरिष्ठ उपसचिव (भ.व मू.)
6. वरिष्ठ उपसचिव (ई-1)
7. उपसचिव (के.का.)
8. आईटी प्रमुख - उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
9. सीएसआईआर वेबसाइट
10. कार्यालय प्रति



Annexure-I

of CSIR OM No. 5-1(14)/2008-PD dated 11.07.2025

Multi-Tasking Staff (erstwhile non tech Group-D) (other than canteen)		
S. No.	Lab./Instt.	Sanctioned Strength as on 01.04.2025
1	CSIR-AMPRI Bhopal	3
2	CSIR-CBRI Roorkee	35
3	CSIR-CCMB Hyderabad	3
4	CSIR-CDRI Lucknow	14
5	CSIR-CECRI Karaikudi	3
6	CSIR-CEERI Pilani	13
7	CSIR-CFTRI Mysore	10
8	CSIR-CGCRI Kolkata	9
9	CSIR-CIMAP Lucknow	24
10	CSIR-CIMFR Dhanbad	36
11	CSIR-CLRI Chennai	20
12	CSIR-CMERI Durgapur	24
13	CSIR-4PI Bangalore	0
14	CSIR-CRRI New Delhi	25
15	CSIR-CSIO Chandigarh	10
16	CSIR Hqrs.	46
17	CSIR-CSMCRI Bhavnagar	9
18	CSIR-IGIB New Delhi	2
19	CSIR-IHBT Palampur	4
20	CSIR-IICB Kolkata	12
21	CSIR-IICT Hyderabad	43
22	CSIR-IIIM Jammu	0


11/07/25

Annexure-I
of CSIR OM No. 5-1(14)/2008-PD dated 11.07.2025

Multi-Tasking Staff (erstwhile non tech Group-D) (other than canteen)		
S. No.	Lab./Instit.	Sanctioned Strength as on 01.04.2025
23	CSIR-IIP Dehradun	53
24	CSIR-IITR Lucknow	4
25	CSIR-IMMT Bhubaneswar	14
26	CSIR-IMT Chandigarh	8
27	CSIR-NAL Bangalore	17
28	CSIR-NBRI Lucknow	28
29	CSIR-NCL Pune	39
30	CSIR-NEERI Nagpur	23
31	CSIR-NEIST Jorhat	26
32	CSIR-NGRI Hyderabad	24
33	CSIR-NIIST TVM	5
34	CSIR-NIO Goa	4
35	CSIR-NIScPR New Delhi	9
36	CSIR-NML Jamshedpur	45
37	CSIR-NPL New Delhi	55
38	CSIR-SERC Chennai	1
39	CSIR Madras Cx	5
	Total	705


(Amrendra Kumar)
Under Secretary (PD)

Annexure-II
of CSIR OM No. 5-1(14)/2008-PD dated 11.07.2025

Table-A: MTS (Canteen) (Erstwhile Tea Maker/Coffee Maker/Bearer/Washboy/Safaiwala)		
S. No.	Lab./Instt.	Sanctioned Strength as on 01.04.2025
1	CSIR-CDRI Lucknow	1
2	CSIR-CECRI Karaikudi	5
3	CSIR-CEERI Pilani	1
4	CSIR-CIMFR Dhanbad	6
5	CSIR-CSIO Chandigarh	1
6	CSIR-CSMCRI Bhavnagar	1
7	CSIR-IHBT Palampur	2
8	CSIR-IGIB Delhi	1
9	CSIR-IICT Hyderabad	2
10	CSIR-IIP Dehradun	1
11	CSIR-IITR Lucknow	1
12	CSIR-IMT Chandigarh	1
13	CSIR-NAL Bangalore	1
14	CSIR-NGRI Hyderabad	3
15	CSIR-NIO Goa	4
16	CSIR-NIScPR New Delhi	5
17	CSIR-NML Jamshedpur	1
	Total	37


11/07/25

Table B : Clerk (Canteen)		
S. No.	Lab./Instt.	Sanctioned Strength as on 01.04.2025
1	CSIR-CECRI Karaikudi	1
2	CSIR-CFTRI Mysore	2
3	CSIR-CGCRI Kolkata	1
4	CSIR-CSIO Chandigarh	1
5	CSIR-CSMCRI Bhavnagar	1
6	CSIR-IHBT Palampur	1
7	CSIR-NGRI Hyderabad	1
8	CSIR-NPL New Delhi	2
	Total	10

Table C : Assistant Halwai cum Cook (canteen)		
S. No.	Lab./Instt.	Sanctioned Strength as on 01.04.2025
1	CSIR-CDRI Lucknow	1
2	CSIR-CSMCRI Bhavnagar	1
3	CSIR-IICT Hyderabad	1
4	CSIR-IIP Dehradun	1
	Total	4


11/07/25

Annexure-II
of CSIR OM No. 5-1(14)/2008-PD dated 11.07.2025

Table D : Halwai cum Cook (Canteen)		
S. No.	Lab./Instt.	Sanctioned Strength as on 01.04.2025
1	CSIR-CIMFR Dhanbad	1
2	CSIR-IHBT Palampur	1
3	CSIR-NGRI Hyderabad	1
	Total	3

Table E : Assistant Manager cum Store Keeper (Canteen)		
S. No.	Lab./Instt.	Sanctioned Strength as on 01.04.2025
1	CSIR Madras Cx	1
	Total	1


(Amrendra Kumar)
Under Secretary (PD)

(7.1.9) Sub: Alternative mechanism for providing staff for running Canteens.

Ref : CSIR letter No.17(202)/1/92-E-II dated 17-2-92

The decision of GOI to freeze the staff strength of Canteen employees with immediate effect, implying complete ban on creation and filling up of posts as well as ban on filling up of vacancies due to retirement, death, resignation, dismissal, removal etc. till further orders. Under the circumstances the Governing Body had decided at its meeting held on 4-11-92 that DG,CSIR may appoint a Committee for suggesting alternative mechanism to provide canteen facility to the staff, keeping in view that no additional financial burden be imposed on CSIR. Accordingly DG,CSIR appointed a Committee under the Chairmanship of Dr.P.V.Sane, Director, NBRI, and the recommendations made by the above Committee were placed before the Governing Body at its meeting held on 28-4-1994.

After considering the recommendations, the Governing Body has approved that no new posts should be created and no vacancy be filled up in the Departmental Canteens; work should be contracted out in the event of creation of new canteen facilities; vacancies arising due to resignation, death, retirement, dismissal and removal etc. should not be filled up. Wherever it becomes absolutely necessary, vacancies be filled up by redeployment of existing canteen staff in other CSIR Laboratories. If, however, such adjustment is not possible, Laboratories should give the work on contract while ensuring that existing canteen staff is not rendered redundant.

The above decision of Governing Body is brought to your kind notice for information, guidance and strict compliance.

(No.17(202)/1/92-E.II, dated 4-7-1994)

